भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

फ०न०: भा०वि०प्रा०/नि०मु०/वाणिज्य/सी०एम०- ए3/2020/06 **दिनांक: 03.02.2020**

वाणिज्यिक अनुदेश सं० 11/2020
विषय: वाणिज्यिक पुस्तिका 2019 संशोधन सं० 03

वाणिज्यिक पुस्तिका 2019 दिनांक 01.04.2019 से लागू की गयी थी। तत्पश्चात, विभिन्न क्षेत्रों एवं स्टेशनों से प्राप्त टिपन्नियों/ सुझावों/ प्रस्तावों के आधार पुर वाणिज्यिक पुस्तिका संशीधन सं० 01 एवं 02, वाणिज्यिक अनुदेश सं0 04/2019 दिनांक 06.08.2019 एवं वाणिज्यिक अनुदेश सं० 07/2019 दिनांक 18.11.2019 द्वारा जारी की गयी थी।

2. उपरोक्त के क्रम में, सी०ए०बी० की इस विषय पर 294वीं बैठक में दी गयी अनुशंसा के आधार पर अध्यक्ष महोदय ने संशोधन सं० 03, जो की वाणिज्यिक पुस्तिका 2019 के विभिन्न प्रावधानों से संबन्धित है, का अनुमोदन किया है। संशोधन सं0 03 Annexure-A पर संलग्न है, जिसमें कुल 05 पृष्ठ हैं, Annexure-A के अनुलग्नक Annexure-A1 (03 पृष्ठ), एवं Annexure-A2 ((03 पृष्ठ) हैं जो की साथ में संलग्न है।

3. यह वाणिज्यिक अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू होतो है।

4. यह वाणिज्यिक अनुदेश भा०वि०प्रा० की वैबसाइट पर निम्नलिखितं पाथ पर उपलब्ध है: www.aai.aero/en Emp Login Circulars & Orders (Double Click) → check Circulars only select Department (Commercial) → Search

किशन लाल शर्मा
कार्यपालक निदेशक (वाणिज्य)

संलग्नक : यथोपरि

वित्तरण सूची:

1. अध्यक्ष, भा०वि०प्रा० के ई०ए०, नि०सु०
2. सदस्य (मानव संसाधन), नि०मु०
3. सदस्य (वित्त), नि०मु०
4. सदस्य (संचालन), नि०मु०
5. सदस्य (प्लानिंग), नि०मु०
6. सदस्य (ए०एन०एस०), नि०मु०
7. मुख्य सतर्कता अधिकारी, नि०मु०
8. कार्यपालक निदेशक (वित्त)- 1/11, नि०मु०,
9. क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र / पश्चिमी क्षेत्र / पूर्वी क्षेत्र / दक्षिण क्षेत्र / पूर्वोतरी क्षेत्र
10. समस्त विमानपत्तन निदेशक
11. वाणिज्य प्रभारी क्षेत्रीय मुख्यालय (NR/ER/SR/WR/NER), चेन्नई/ कोलकाता विमानपत्तन
12. कार्यपालक निदेशक (सतर्कता)
13. महाप्रबंधक (आई०टी०) वाणिज्यिक अनुदेश को भा०वि० प्रा० की वैबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में।

<u>परिशिष्ट-ए</u>

वाणिज्यिक नियमावली – 2019 में संशोधन / परिवर्तन

क्रम संख्या	वा.नि. का पृष्ठ संख्या, पैरा एवं अध्याय	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1.	पृष्ठ संख्या 38 अध्याय 7.5 पैरा: 7.5.1 (VI)	<u>तकनीकी बोलियों को खोलना एवं उनका मूल्यांकन करना</u> **टिप्पणी**: एकल या शून्य बोलियाँ प्राप्त होने की स्थिति में (सीपीपी पोर्टल के "बोली प्रस्तुत निविदा" पृष्ठ में जाँच की गई) बोली प्रस्तुत करने की तिथि को तकनीकी बोली खोलने की तिथि से 15 दिन पहले एनआईटी अनुमोदन प्राधिकारी से अनुमोदन के साथ बढ़ाया जाएगा। विस्तार के बाद भी यदि केवल एक बोली शेष रहती है तो <u>**सक्षम प्राधिकारी**</u> के अनुमोदन के बाद निविदा खोली जा सकती है और उस पर कार्रवाई की जा सकती है। यदि विस्तार के बाद भी कोई बोली प्राप्त नहीं होती है, तो निविदा रद्द कर दी जाएगी और पुनः निविदा की जाएगी।	<u>तकनीकी बोलियों को खोलना एवं उनका मूल्यांकन करना</u> **टिप्पणी**: एकल या शून्य बोलियाँ प्राप्त होने की स्थिति में (सीपीपी पोर्टल के "बोली प्रस्तुत निविदा" पृष्ठ पर चिह्नित), बोली प्रस्तुत करने की तिथि तकनीकी बोली खोलने की तिथि से 15 दिन पहले एनआईटी अनुमोदन प्राधिकारी की स्वीकृति से बढ़ा दी जाएगी। विस्तार के बाद भी यदि केवल एक बोली शेष रहती है, तो <u>**एनआईटी अनुमोदन प्राधिकारी**</u> की स्वीकृति के बाद निविदा खोली और संसाधित की जा सकती है। विस्तार के बाद भी कोई बोली प्राप्त न होने की स्थिति में, निविदा रद्द कर दी जाएगी और पुनः निविदा की जाएगी।
2	पृष्ठ संख्या 38 अध्याय 7.5 पैरा 7.5.3 टिप्पणी	टिप्पणी: • असाधारण परिस्थितियों में या निर्देशानुसार, उपरोक्त प्रक्रिया में विचार किए जाने वाले किसी भी विचलन को <u>**सक्षम प्राधिकारी**</u> द्वारा अनुमोदित किया जाना होगा।	टिप्पणी: • उचित औचित्य के साथ असाधारण परिस्थितियों के मामले में, उपरोक्त प्रक्रिया में विचार किए जाने वाले किसी भी विचलन को <u>**एनआईटी अनुमोदन प्राधिकारी**</u> द्वारा अनुमोदित किया।
3	अध्याय 7.3 - एम.आर.एल.एफ. निर्धारण पैरा: 7.3.2	"यदि पिछला अनुबंध अनुबंधित अवधि के 50% कार्यकाल से पहले किसी भी आधार पर समाप्त कर दिया गया है, तो अंतिम लाइसेंस शुल्क प्राप्त/बिल किए गए आधार पर एमआरएलएफ की राशि पर विचार किया जा सकता है, जिसके लिए उचित दस्तावेजीकरण कारणों के साथ मौजूदा	यदि पिछला अनुबंध अनुबंधित अवधि के 50% कार्यकाल से पहले किसी भी आधार पर समाप्त कर दिया गया है, तो एमआरएलएफ की राशि निम्नलिखित के अनुसार मानी जा सकती है: ए) (I) यदि निविदा में प्राप्त/उद्धृत लाइसेंस शुल्क एमआरएलएफ के 110% से अधिक

		लाइसेंस शुल्क पर 15% की कटौती की जा सकती है।"	था और जिसमें 3 या अधिक बोलियां प्राप्त हुई थीं, तो एमआरएलएफ की राशि एच2 बोलीदाता द्वारा उद्धृत राशि के बराबर तय की जाएगी। (II) ऐसे मामले में जहां निविदा में प्राप्त/उद्धृत लाइसेंस शुल्क एमआरएलएफ के 110% से अधिक था और जिसमें 2 बोलियां प्राप्त हुई थीं, नए एमआरएलएफ की राशि पिछले एमआरएलएफ के बराबर तय की जाएगी। बी) यदि निविदा में प्राप्त/उद्धृत लाइसेंस शुल्क एमआरएलएफ के 110% से कम या उसके बराबर था और जिसमें 2 या अधिक बोलियां प्राप्त हुई थीं, तो प्राप्त/बिल किए गए अंतिम लाइसेंस शुल्क पर 15% तक की कटौती, इसके कारणों को उचित रूप से दस्तावेजित करते हुए, नए एमआरएलएफ को तय करने के लिए विचार किया जा सकता है। सी) एकल निविदा के मामले में, नई एमआरएलएफ की राशि पिछले एमआरएलएफ के बराबर तय की जाएगी।
4	अध्याय 8.11: रियायत/लाइसेंस समाप्ति पृष्ठ संख्या 81.	नई प्रविष्टि	**8.11.3** I. यदि पक्ष समाप्ति हेतु नोटिस देता है, तो **हवाई अड्डा प्रभारी/विमानपत्तन निदेशक** को नोटिस के लिए **निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी** से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु कार्रवाई करनी चाहिए और नोटिस अवधि स्वीकार करने वाले पक्ष को निर्णय से अवगत कराना चाहिए। हालाँकि, भाविप्रा में नोटिस प्राप्त होने की तिथि को नोटिस अवधि के प्रारंभ की तिथि माना जाएगा। पक्ष द्वारा दिए गए नोटिस की हवाई अड्डा प्रभारी/विमानपत्तन निदेशक द्वारा अनिवार्य रूप से पावती दी जानी चाहिए। II. भाविप्रा की ओर से समाप्ति का नोटिस **हवाईअड्डा प्रभारी/विमानपत्तन निदेशक** द्वारा दिया जाएगा, बशर्ते कि वह **निविदा**

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो।

III. जब अनुबंध समाप्ति का नोटिस दे दिया गया हो, तो हवाईअड्डा प्रभारी/विमानपत्तन निदेशक को नए सिरे से निविदा प्रक्रिया के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।</td></tr>
<tr><td>5</td><td>5.2.1/सी1/बी).
पृष्ठ 143
वाणिज्यिक नियमावली सं. 07/2019
[वा.नि. 2019 – संशोधन संख्या 2, क्रम संख्या 5]</td><td>नई प्रविष्टि</td><td>मेगा और "ए" श्रेणी के हवाई अड्डों पर मोटर कैब और मैक्सी कैब के लिए दो अलग-अलग सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी। निविदाएँ निम्नानुसार आमंत्रित की जानी चाहिए:
<table>
<tr><th>हवाईअड्डों की श्रेणी</th><th>सुविधा</th></tr>
<tr><td>"मेगा" और "ए"</td><td>दो अलग सुविधाएं:
1. "मोटर कैब" (ड्राइवर को छोड़कर, छह से अधिक यात्रियों को ले जाने वाली कैब)
2. "मैक्सी कैब" (छह से अधिक यात्रियों को ले जाने वाली कैब, लेकिन चालक को छोड़कर बारह से अधिक यात्रियों को नहीं)</td></tr>
<tr><td>"बी", "सी", "डी" एवं अन्य</td><td>वाणिज्यिक नियमावली 2019 और उसके संशोधनों के अनुसार एकल सुविधा, अर्थात सामान्य कार रेंटल सेवाएं (मोटर कैब और मैक्सी कैब के लिए)</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			2. कुल कैबों में से कम से कम 50% कैब तीन (3) वर्षों से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। "मोटर कैब सेवा" और "मैक्सी कैब सेवा" के संचालन हेतु नीतिगत विनिर्देश क्रमशः परिशिष्ट ए1 और परिशिष्ट ए2 में संलग्न हैं।
6	वा.नि. 04/2019 (संशोधन संख्या 1 – परिशिष्ट ए, पृष्ठ 13 (कुल 30 में से), क्रम संख्या 37 बी) (iii)	संबंधित हवाई अड्डों पर एटीएम की स्थापना और संचालन के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से बैंकों के शाखा कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों या कॉर्पोरेट कार्यालय के माध्यम से 1,00,000/- रुपये की ईएमडी के साथ मुहरबंद प्रस्ताव (ऊपर वर्णित एमआरएलएफ) आमंत्रित किए जा सकते हैं (श्रेणी 'डी', 'ई' और इससे नीचे की श्रेणी के हवाई अड्डों को छूट दी गई है)।	संबंधित हवाई अड्डों पर एटीएम की स्थापना और संचालन के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से बैंकों के शाखा कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों या कॉर्पोरेट कार्यालय के माध्यम से 1,00,000/- रुपये की ईएमडी के साथ मुहरबंद प्रस्ताव (ऊपर वर्णित एमआरएलएफ) आमंत्रित किए जा सकते हैं (श्रेणी 'डी', 'ई' और इससे नीचे की श्रेणी के हवाई अड्डों को **ईएमडी के भुगतान से** छूट दी गई है)।
7	परिशिष्ट XXII, (III) मुद्र विनिमय काउंटर्स, क्रम संख्या 18, पृष्ठ 297	हवाई अड्डों पर मुद्रा विनिमय व्यवसाय करने वाले बैंकों/सीमा शुल्क विभाग को इसके लिए भाविप्रा के नियमों और शर्तों का पालन करना होगा, अर्थात उन्हें लागू होने पर विशेष स्थान लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि हवाई अड्डे पर पहले से ही मुद्रा विनिमय काउंटर कार्यरत है, तो बैंकों को मुद्रा विनिमय व्यवसाय भाविप्रा द्वारा अधिकृत एजेंसी के माध्यम से कराना चाहिए या उन्हें मुद्रा विनिमय काउंटर सुविधा पर लागू भाविप्रा के नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए।	ए) किसी हवाई अड्डे पर बैंकों/वित्तीय संस्थाओं (एफआई) को सीमा शुल्क विभाग की आवश्यकता के अनुसार (विशुद्ध रूप से वैधानिक सीमा शुल्क संग्रह के लिए) सौंपा जाता है, तो हवाई अड्डे पर लागू सामान्य स्थान किराया ऐसे काउंटरों के लिए कुल आवंटित क्षेत्र के लिए लागू सीएएमएस, उपयोगिता शुल्क, जीएसटी आदि के साथ लिया जाना है। बी) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उक्त बैंक/वित्तीय संस्थाएँ इस/इन काउंटरों पर वाणिज्यिक/लाभ-प्राप्त मुद्रा विनिमय व्यवसाय में संलग्न न हों। हालाँकि, इन एजेंसियों को वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत करने पर प्रति यात्री 50 अमेरिकी डॉलर तक का मुद्रा विनिमय व्यवसाय करने की अनुमति दी जा सकती है।

			इससे यात्रियों को अपनी बुनियादी आवश्यकताओं जैसे कैब बुकिंग, जलपान आदि की पूर्ति करने में सुविधा होगी।
8	वा. नि. 04/2019 (वाणिज्यिक नियमावली 2019 – संशोधन संख्या 1) दिनांक 06.08.2019	"अन्य" हवाई अड्डों के लिए, जो वाणिज्यिक मैनुअल के अनुलग्नक IV-ए: वाहन पार्किंग नीति के अनुसार सूची में शामिल नहीं थे, निम्नलिखित आदेश जारी किए जाते हैं: ए. ओपन टेंडर आमंत्रित किए जाने हैं (अतिरिक्त हवाई अड्डों को पैनल सूची में शामिल करने की जानकारी/अपडेट निगमित मुख्यालय द्वारा दी जाएगी)। बी. अनुबंध की अवधि तीन (03) वर्ष होगी। सी. टेंडर आमंत्रित करते समय ऑटोमेशन को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। हालांकि, कम्प्यूटरीकृत बिलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। डी. एक्सेस शुल्क नहीं लगाया जाएगा। ई. टेंडर के तहत लागू अन्य शर्तें व नियम वाणिज्यिक मैनुअल के परिशिष्ट-IVA के अनुसार होंगे।	"अन्य" हवाई अड्डों के लिए, जो वाणिज्यिक मैनुअल के अनुलग्नक IV-ए: वाहन पार्किंग नीति के अनुसार सूची में शामिल नहीं थे, निम्नलिखित आदेश जारी किए जाते हैं: ए. खुली निविदाएं आमंत्रित की जानी हैं (पैनल सूची का उपयोग करने के लिए अतिरिक्त हवाई अड्डों को शामिल करने की सूचना सीएचक्यू द्वारा दी जाएगी/अद्यतन की जाएगी)। ख. अनुबंध की अवधि तीन (03) वर्ष होगी। ग. निविदा आमंत्रित करते समय स्वचालन पहलू पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, कम्प्यूटरीकृत बिलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। घ. प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। ई. **परियोजना पूरी होने की अवधि 30 दिन होगी।** च. आमंत्रित की जाने वाली निविदा के अंतर्गत अन्य नियम व शर्तें वाणिज्यिक मैनुअल (वाणिज्यिक मैनुअल के अनुलग्नक-IVA) के अनुसार होंगी।

******

परिशिष्ट-ए1

"मेगा" और "ए" श्रेणी के हवाई अड्डों पर "मोटर कैब सेवा" संचालन हेतु नीति

क्र. सं.	नीति मानक	मानक
1	पात्रता / अनुभव	ए. निविदाकर्ता के पास कम से कम **पचास (50)** * **मोटर कैब** (अर्थात कोई भी मोटर वाहन जो चालक को छोड़कर अधिकतम छह यात्रियों को ले जाने के लिए निर्मित या अनुकूलित हो) या तो उसके अपने नाम पर हो या उसे किराया-खरीद/लीज समझौते के माध्यम से प्राप्त किया गया हो। ** इन मोटर कैब में से कम से कम 50% तीन वर्षों से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।* बी. एजेंसी के पास पिछले सात वर्षों के दौरान इसी प्रकार के व्यवसाय में दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए। *निविदा में बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला दस्तावेजी प्रमाण
2	वित्तीय पात्रता	टर्नओवर मानक: वाणिज्यिक नियमावली के अध्याय 7.2 के अनुसार
3	चयन मॉडल	एमआरएलएफ (न्यूनतम आरक्षित लाइसेंस शुल्क) पर बोली
4	काउंटर स्थान	आगमन हॉल
5	आवधिकता	3 वर्ष
6.	परियोजना पूरी होने की अवधि	अधिकतम 90 दिन या वाणिज्यिक परिचालन का वास्तविक प्रारंभ, जो भी पहले हो
7.	वार्षिक वृद्धि, एमआरएलएफ निर्धारण, सुरक्षा जमा, ईएमडी, निविदा शुल्क आदि	वाणिज्यिक नियमावली के अनुसार
8.	विशेष नियम एवं शर्तें	परिशिष्ट-ए के अनुसार संलग्न
9.	प्रस्तावित हवाई अड्डे	केवल "मेगा" एवं "ए" श्रेणी

<u>अनुलग्नक ए1 का परिशिष्ट-ए</u>

<u>"मोटर कैब सेवा" के विशेष नियम एवं शर्तें"</u>

1. लाइसेंसधारी द्वारा ली जाने वाली दर बुकिंग काउंटर पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जानी चाहिए ताकि यह सभी यात्रियों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इसके अलावा, ली जाने वाली दरें शहर में सरकार द्वारा अनुमोदित प्रीपेड टैक्सी दरों या टूर ऑपरेटरों के अनुरूप/तुलनीय होनी चाहिए।

2. लाइसेंसधारी को यात्रियों को प्रदान की जाने वाली "**मोटर कैब सेवा**" के संबंध में उचित रिकॉर्ड रखना होगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को आवश्यकतानुसार रिकॉर्ड का निरीक्षण करने का अधिकार है।

3. "**मोटर कैब सेवा**" में शामिल कारों का विवरण जैसे पंजीकरण संख्या/आर.सी. बुक आदि विमानपत्तन निदेशक को सूचित किया जाना चाहिए।
4. कार्य समय, लाइसेंसधारी का नाम और अनुबंध की अवधि काउंटर में प्रदर्शित की जाएगी।
5. लाइसेंसधारक की यह जिम्मेदारी है कि वह संबंधित सुविधा को चलाने के लिए संबंधित सरकारी एजेंसियों/स्थानीय प्राधिकारियों (यदि कोई हो) से सभी लागू मंजूरी/परमिट प्राप्त करे।
6. लाइसेंसधारी आवंटित स्थान पर कोई विज्ञापन, होर्डिंग, बैनर या साइनबोर्ड नहीं लगाएगा या प्रदर्शित नहीं करेगा, न ही कोई संशोधन/निर्माण योजना बनाएगा। सफल लाइसेंसधारी के साइनबोर्ड प्रदर्शित करने संबंधी किसी भी विशिष्ट आवश्यकता के लिए विमानपत्तन निदेशक से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।
7. लाइसेंसधारी अपने सभी कर्मचारियों को, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित विनिर्देशों के अनुसार, अपने कर्मचारियों/पर्यवेक्षकों को, स्वयं के खर्चे पर, उचित वर्दी उपलब्ध कराएगा। लाइसेंसधारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारी ड्यूटी के दौरान इसे पहनें और साफ-सुथरी स्थिति में रखें तथा उस पर उनका नाम स्पष्ट रूप से अंकित नेमप्लेट भी लगा हो।
8. जुर्माना: अनुबंध की शर्तों और नियमों का उल्लंघन करने पर प्रति घटना 2,500/- रुपये (दो हज़ार पाँच सौ रुपये मात्र) का जुर्माना लगाया जाएगा, जो लागू दरों पर **या** उपयुक्त प्राधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा <u>समय-समय पर</u> तय किया जाएगा। उल्लंघनों में निम्नलिखित भी शामिल होंगे: -
   i) यात्री को रसीद जारी न करना,
   ii) कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार और
   iii) अधिक शुल्क लेना आदि,

9. लाइसेंसधारी को अपने कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निर्धारित और लागू सभी संबंधित वैधानिक प्रावधानों के अनुसार भुगतान करना होगा।

साथ ही, लाइसेंसधारी/कंपनी/एजेंसी को पीएफ एवं ईएसआई प्रयोजनों के लिए अपना पंजीकरण सुनिश्चित करना चाहिए तथा ठेका श्रम प्रावधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित करना चाहिए।

10. लाइसेंसधारी को **मोटर कैब** पर्ची जारी करने के लिए कंप्यूटरीकृत प्रणाली स्थापित करनी होगी। इसमें वाहन संख्या, चालक का मोबाइल नंबर, आपातकालीन संपर्क नंबर, वाहन का गंतव्य, किराया, दूरी और यात्री की सुरक्षा के लिए आवश्यक अन्य सभी विवरण शामिल होने चाहिए। यदि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ई-पीओएस प्रणाली लागू करता है, तो बिलिंग प्रणाली को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ई-पीओएस प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा। इस एकीकरण की लागत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा वहन की जाएगी।

11. लाइसेंसधारी को काउंटर पर एक शिकायत रजिस्टर रखना होगा, जो ग्राहकों के लिए आसानी से सुलभ हो, ताकि वे अपने सुझाव/शिकायतें दर्ज कर सकें।

12. लाइसेंसधारी, चालकों, वाहन स्वामियों, चालकों और लाइसेंसधारी आदि के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए एक विवाद समाधान तंत्र तैयार करेगा। एएआइ ऐसे किसी भी मुद्दे के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा जो "**मोटर कैब सेवा**" प्रणाली के आंतरिक हों और अनुबंध के नियमों व शर्तों के दायरे से बाहर हों। ऐसे विवादों का कुशलतापूर्वक निपटारा करना पूरी तरह से लाइसेंसधारी की ज़िम्मेदारी होगी।

13. लाइसेंसधारी को समय-समय पर संशोधित वाहनों के संचालन से संबंधित सभी केंद्रीय और राज्य नियमों और विनियमों का पालन करना होगा ।

14. चालक के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन पुलिस प्राधिकारियों से कराया जाना चाहिए तथा रिपोर्ट काउंटर में रखी जानी चाहिए तथा उसे किसी भी समय भाविप्रा द्वारा सत्यापन के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

15. लाइसेंसधारी को संबंधित सेवाओं के उपयोग के लिए यात्रियों/उपयोगकर्ताओं को मुद्रित बिल प्रदान करने का प्रावधान होना चाहिए। काउंटर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट/डेबिट कार्ड और अन्य ई-भुगतान माध्यमों, जैसे पेटीएम, मोबिक्विक, भीम आदि को स्वीकार करने का प्रावधान होना चाहिए। लाइसेंसधारी को नकद रसीदों के अलावा कम से कम दो ई-भुगतान माध्यमों से भुगतान स्वीकार करने की व्यवस्था करनी होगी।

16. लाइसेंसधारी को संबंधित हवाई अड्डे पर प्रचलित कार पार्किंग लाइसेंस की शर्तों एवं नियमों के अनुसार पार्किंग ठेकेदार को पार्किंग शुल्क का भुगतान करना होगा।

17. लाइसेंसधारी के पास एकाधिकार का कोई दावा नहीं होगा और प्राधिकरण को टर्मिनल भवन के भीतर/बाहर अन्य क्षेत्र में अन्य समान लाइसेंसधारी/काउंटर की अनुमति देने/प्रदान करने की स्वतंत्रता होगी, जैसा कि मांग के अनुसार या प्राधिकरण द्वारा वांछित हो।

18. उपरोक्त सभी शर्तें समझौते का हिस्सा होंगी।

(लाइसेंसधारी के हस्ताक्षर)

परिशिष्ट-ए2

"मेगा" और "ए" श्रेणी के हवाई अड्डों पर "मैक्सी कैब सेवा" संचालन के लिए नीति

क्र.सं.	नीति मानक	मानक
1	पात्रता / अनुभव	ए) निविदाकर्ता के पास कम से कम **पचास (50)** * **मैक्सी कैब** (अर्थात कोई भी मोटर वाहन जो छह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए निर्मित या अनुकूलित हो, लेकिन चालक को छोड़कर बारह से अधिक यात्रियों को नहीं) या तो अपने नाम पर हो या उसे किराया खरीद/लीज समझौते के माध्यम से प्राप्त किया गया हो। ** 50% मैक्सी कैब तीन वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।* बी) एजेंसी के पास पिछले सात वर्षों के दौरान इसी प्रकार के व्यवसाय में दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए। *निविदा में बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला दस्तावेजी प्रमाण
2	वित्तीय पात्रता	टर्नओवर मानक : वाणिज्यिक नियमावली अध्याय 7.2 के अनुसार
3	चयन मॉडल	एमआरएलएफ पर बोली
4	काउंटर स्थान	आगमन हॉल
5	आवधिकता	3 वर्ष
6.	परियोजना पूरी होने की अवधि	अधिकतम 90 दिन या वाणिज्यिक परिचालन का वास्तविक प्रारंभ, जो भी पहले हो
7.	वार्षिक वृद्धि, एमआरएलएफ का निर्धारण, सुरक्षा जमा, ईएमडी, निविदा शुल्क, आदि	वाणिज्यिक नियमावली के अनुसार
8.	विशेष नियम एवं शर्तें	परिशिष्ट-ए के अनुसार संलग्न
9.	प्रस्तावित हवाई अड्डे	केवल "मेगा" और "ए" श्रेणी

<u>अनुलग्नक - ए2 का परिशिष्ट - ए</u>

<u>"मैक्सी कैब सेवा" के विशेष नियम एवं शर्तें</u>

1. लाइसेंसधारी द्वारा ली जाने वाली दर बुकिंग काउंटर पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जानी चाहिए ताकि यह सभी यात्रियों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इसके अलावा, ली जाने वाली दरें शहर में सरकार द्वारा अनुमोदित प्रीपेड टैक्सी दरों या टूर ऑपरेटरों के अनुरूप/तुलनीय होनी चाहिए।

2. लाइसेंसधारी को यात्रियों को प्रदान की जाने वाली "**मैक्सी कैब सेवा**" का उचित रिकॉर्ड रखना होगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को आवश्यकता पड़ने पर रिकॉर्ड का निरीक्षण करने का अधिकार है।

3. "**मैक्सी कैब सेवा**" में शामिल कारों का विवरण जैसे पंजीकरण संख्या/आर.सी. बुक आदि विमानपत्तन निदेशक को सूचित किया जाना चाहिए।
4. कार्य समय, लाइसेंसधारी का नाम और अनुबंध की अवधि काउंटर में प्रदर्शित की जाएगी।
5. लाइसेंसधारी की यह जिम्मेदारी है कि वह संबंधित सरकारी एजेंसियों/स्थानीय प्राधिकारियों से, यदि कोई हो, संबंधित सुविधा चलाने के लिए सभी लागू मंजूरी/परमिट प्राप्त करे।
6. लाइसेंसधारी आवंटित स्थान पर कोई विज्ञापन, होर्डिंग, बैनर या साइनबोर्ड नहीं लगाएगा या प्रदर्शित नहीं करेगा, न ही कोई संशोधन/निर्माण योजना बनाएगा। सफल लाइसेंसधारी के साइनबोर्ड प्रदर्शित करने संबंधी किसी भी विशिष्ट आवश्यकता के लिए विमानपत्तन निदेशक से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।
7. लाइसेंसधारी अपने सभी कर्मचारियों को, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित विनिर्देशों के अनुसार, अपने कर्मचारियों/पर्यवेक्षकों को, स्वयं के खर्चे पर, उचित वर्दी उपलब्ध कराएगा। लाइसेंसधारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारी ड्यूटी के दौरान इसे पहनें और साफ-सुथरी स्थिति में रखें तथा उस पर उनका नाम स्पष्ट रूप से अंकित नेमप्लेट भी लगा हो।
8. जुर्माना: अनुबंध की शर्तों और नियमों का उल्लंघन करने पर प्रति घटना 2,500/- रुपये (दो हज़ार पाँच सौ रुपये मात्र) का जुर्माना लगाया जाएगा, जो लागू दरों पर **या** उपयुक्त प्राधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा <u>समय-समय पर</u> तय किया जाएगा। उल्लंघनों में निम्नलिखित भी शामिल होंगे:-
    - i) यात्री को रसीद जारी न करना,
    - ii) कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार और
    - iii) अधिक शुल्क लेना आदि,

9. लाइसेंसधारी को अपने कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निर्धारित और लागू सभी संबंधित वैधानिक प्रावधानों के अनुसार भुगतान करना होगा।

साथ ही, लाइसेंसधारी/कंपनी/एजेंसी को पीएफ एवं ईएसआई प्रयोजनों के लिए अपना पंजीकरण सुनिश्चित करना चाहिए तथा ठेका श्रम प्रावधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित करना चाहिए।

10. लाइसेंसधारी को **मैक्सी कैब** पर्ची जारी करने के लिए कंप्यूटरीकृत प्रणाली स्थापित करनी होगी। इसमें वाहन संख्या, चालक का मोबाइल नंबर, आपातकालीन संपर्क नंबर, वाहन का गंतव्य, किराया, दूरी और यात्री की सुरक्षा के लिए आवश्यक अन्य सभी विवरण शामिल होने चाहिए। यदि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ई-पीओएस प्रणाली लागू करता है, तो बिलिंग प्रणाली को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ई-पीओएस प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। इस एकीकरण की लागत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा वहन की जाएगी।

11. लाइसेंसधारी को काउंटर पर एक शिकायत रजिस्टर रखना होगा, जो ग्राहकों के लिए आसानी से सुलभ हो, ताकि वे अपने सुझाव/शिकायतें दर्ज कर सकें।
12. लाइसेंसधारी, ड्राइवरों, वाहन मालिकों, ड्राइवरों और लाइसेंसधारी आदि के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए एक विवाद समाधान तंत्र तैयार करेगा। भाविप्रा ऐसे किसी भी मुद्दे के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा जो "मैक्सी कैब सेवा" प्रणाली के आंतरिक हों और अनुबंध के नियमों व शर्तों के दायरे से बाहर हों। ऐसे विवादों का कुशलतापूर्वक निपटारा करना पूरी तरह से लाइसेंसधारी की ज़िम्मेदारी होगी।
13. लाइसेंसधारी को समय-समय पर संशोधित वाहनों के संचालन से संबंधित सभी केंद्रीय और राज्य नियमों और विनियमों का पालन करना होगा।
14. चालक के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन पुलिस प्राधिकारियों से कराया जाना चाहिए तथा रिपोर्ट काउंटर में रखी जानी चाहिए तथा उसे किसी भी समय भाविप्रा द्वारा सत्यापन के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
15. लाइसेंसधारी को संबंधित सेवाओं के उपयोग के लिए यात्रियों/उपयोगकर्ताओं को मुद्रित बिल प्रदान करने का प्रावधान होना चाहिए। काउंटर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट/डेबिट कार्ड और अन्य ई-भुगतान माध्यमों जैसे पेटीएम, मोबिक्विक, भीम आदि को स्वीकार करने का प्रावधान होना चाहिए। लाइसेंसधारी को नकद रसीदों के अलावा कम से कम दो ई-भुगतान माध्यमों से भुगतान स्वीकार करने की व्यवस्था करनी होगी।
16. लाइसेंसधारी को संबंधित हवाई अड्डे पर प्रचलित कार पार्किंग लाइसेंस की शर्तों एवं नियमों के अनुसार पार्किंग ठेकेदार को पार्किंग शुल्क का भुगतान करना होगा।

17. लाइसेंसधारी के पास एकाधिकार का कोई दावा नहीं होगा और प्राधिकरण को टर्मिनल भवन के भीतर/बाहर अन्य क्षेत्र में अन्य समान लाइसेंसधारी/काउंटर की अनुमति देने/प्रदान करने की स्वतंत्रता होगी, जैसा कि मांग के अनुसार या प्राधिकरण द्वारा वांछित हो।

18. उपरोक्त सभी शर्तें समझौते का हिस्सा होंगी।

(लाइसेंसधारी के हस्ताक्षर)